बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

सं0सं0–12 / स्था0–01–31 / 2024

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, वीरपुर के पत्रांक–2849 दिनांक 18.09.2026 द्वारा प्राप्त अनुशंसा एवं विभागीय पत्रांक–बाढ़ (मो0) सिं0–20 / 2026–2109 दिनांक 20.05.2026 के आलोक में श्री अर्पित कुमार, कनीय अभियंता (असैनिक), (आई0डी0–जे0 11772), जल निस्सरण प्रमंडल, सहरसा के पिताजी के आकस्मिक निधन हो जाने के कारण दिनांक 11.09.2026 से 12.09.2026 तक कुल–02 दिनों का आकस्मिक अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति सशर्त्त प्रदान की जाती है।

2. अवकाश स्वीकृति का लाभ प्रदान करने के पूर्व नियंत्री पदाधिकारी द्वारा सुसंगत वर्ष में देय आकस्मिक अवकाश के आदेयता की सम्यक जाँच कर लेंगे। आदेयता शेष रहने पर ही उक्त आदेश लागू होगा। यह नियंत्री पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी।

3. संबंधित कार्यपालक अभियंता एच0आर0एम0एस0 में इसकी प्रविष्टि कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. उक्त आदेश में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / –
(मनीष आनंद)
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक – पटना, दिनांक –

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, वीरपुर को उनके पत्रांक–2849 दिनांक 18.09.2026 के प्रसंग में / अधीक्षण अभियंता, पूर्वी कोशी तटबंध अंचल, सहरसा / कार्यपालक अभियंता, जल निस्सरण प्रमंडल, सहरसा / श्री अर्पित कुमार, कनीय अभियंता (असैनिक), (जे0–11772), जल निस्सरण प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक– 5840 पटना, दिनांक– 06/10/2026

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को संबंधित सभी पदाधिकारियों के ईमेल पता पर भेजने तथा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

06/10/26
अवर सचिव (प्रबंधन)।